

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2019-20/661

दिनांक- 20/11/19

रजिस्ट्रार

समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय

राजस्थान


विषय- महाविद्यालयों द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर कोर्स मैपिंग/अनुमोदन बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों द्वारा वर्ष 2019-20 में कोर्स मैपिंग उपरान्त उक्त का संबंधित विश्वविद्यालयों से अनुमोदन चाहा गया है। जिससे की छात्रवृत्ति पोर्टल (<http://scholarship.rajasthan.gov.in>) पर महाविद्यालय का नाम प्रदर्शित हो सके तथा विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाईन छात्रवृत्ति आवेदन किया जा सके।

महाविद्यालयों द्वारा कोर्स मैपिंग उपरान्त इसका संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा समय पर अनुमोदन (Verify) नहीं करने से विद्यार्थियों को कठिनाई आ रही हैं। यहां यह उल्लेखित करना उचित होगा कि राज्य सरकार द्वारा हॉल में नये राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। नये खुले महाविद्यालयों द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता (Affiliation) चाहा गया है। कृपया शीघ्र Affiliation का अनुमोदन करावें। जिससे कि मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की अन्तिम तिथि 30.11.19 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया जा सके।

अतः विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को निर्देशित करें कि वे जिन महाविद्यालयों द्वारा Affiliation, कोर्स मैपिंग का अनुमोदन चाहा गया है। उनका साथ ही साथ अनुमोदन करें जिससे कि विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जा सके।

कृपया इस कार्य को प्राथमिकता प्रदान करावें।



(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23(80)/लेखा/आकाशि/छा.ऑनलाईन/2019-20/662-63 दिनांक : 20/11/19
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय/वित्तपोषित महाविद्यालय राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि उक्त वर्ष में संचालित कोर्स मैपिंग/अनुमोदन संबंधित विश्वविद्यालय से व्यक्तिशः सम्पर्क कर शीघ्रता शीघ्र कराने का श्रम करें जिससे कि आपके महाविद्यालय का नाम छात्रवृत्ति पोर्टल पर प्रदर्शित हो सके तथा छात्र/छात्रायें समय पर छात्रवृत्ति ऑनलाईन आवेदन कर सके।
2. प्रभारी, वेबसाइट को अपलोड हेतु एवं संबंधित विश्वविद्यालयों को ई-मेल प्रेषण बाबत।


(प्रदीप कुमार बोरड़)

आयुक्त

कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा राजस्थान, जयपुर